स्पीड पोस्ट

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल सं0 मीटिंग / जशपुर / 2018 / आर. यू. ।।। दिनांक: 12–01–2018

सिटिंग नोटिस

विषयः जशपुर जिले के पहाड़ी कोरवा, तिहाड़ी कोरवा, पण्डो एवं बिरहोर जनजातियों के संरक्षण हेतु संचालित कार्यक्रमों की जानकारी देने बाबत्।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संवैधानिक अधिदेश और भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में निम्नलिखित एवं संलग्न प्रकरणों में अन्वेषण करने का निर्णय लिया है (नस्तियों की सूची संलग्न है)।

2. श्री नंद कुमार साय, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इन प्रकरणों में अन्वेषण / जांच / की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग में दिनांक 22–01–2018 को 03.00 बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तद्नुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामलों से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं निम्नलिखित मूल पांच बिंदुओं पर जानकारी प्रस्तुत करें तथा व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

1. गत पांच वर्षों से केंद्र सरकार व राज्य सरकार से कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है एवं किस–किस कार्य में, कब–कब खर्च की गई वर्गीकृत जानकारी प्रस्तुत करें।
2. उपरोक्त जनजातियों के जीवन स्तर सुधारने हेतु क्या–क्या उपाय किए गए हैं।
3. उपरोक्त जनजातियों के शिक्षा व स्वास्थ्य हेतु किए गए उपाय।
4. उपरोक्त जनजातियों की जिले में कुल जनसंख्या जातिवार दें।
5. उपरोक्त जनजातियों के लिए चलाई जा रही समस्त योजनाओं की जानकारी प्रस्तुत करें।

4. कृपया ध्यान रखे कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

457
12/1/18

(आर. के. दुबे)
सहायक निदेशक
दूरभाष–24601346

सेवा में,

कलेक्टर,
जिला– जशपुर,
छत्तीसगढ़